

एसईसी-1/187(2)/2023/1538

दिनांक: 5 जनवरी, 2024

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय: "मीडिया/प्रकाशन" में छपने वाली खबरों पर स्पष्टीकरण

महोदय / महोदया

आपके दिनांक 4 जनवरी, 2024 के ईमेल के संदर्भ में, दिनांक 04 जनवरी, 2024 को "www.economicstimes.com" में छपी हालिया खबर पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसका शीर्षक था "आरईसी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा ने संयुक्त रूप से विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए"।

शुरुआत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि आरईसी लिमिटेड, एक महारत्न सीपीएसई, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी (आईएफसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी विद्युत, लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में कार्यरत है।

इसके अलावा, कारोबार के सामान्य क्रम में, कंपनी समय-समय पर विद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परियोजनाओं को संयुक्त रूप से वित्तपोषित करने की संभावना तलाशने के लिए विभिन्न कंपनियों/बैंकों/अन्य के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करती है। यह उल्लेख करना उचित है कि एक एनबीएफसी होने के नाते, विद्युत क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना कंपनी के कारोबार के सामान्य क्रम में है और इसलिए, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 30 के तहत कंपनी द्वारा निष्पादित ऋण सहायता/संबंधित समझौता ज्ञापन की सूचना की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में, आपके प्रश्नों का बिंदुवार उत्तर इस प्रकार है:-

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा
राज्य कार्यालय : वडोदरा, वाराणसी
प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद


- क) कंपनी ने विद्युत/इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को वित्तपोषित करने की संभावना संयुक्त रूप से तलाशने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो सामान्य कारोबार की प्रकृति में है।
- ख) आरईसी लिमिटेड सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियमन 30 के तहत जब भी आवश्यक हो, स्टॉक एक्सचेंजों को उन सभी घटनाओं और सूचनाओं के बारे में बिना किसी विफलता/विलंब/विचलन के तुरंत सूचित करता है, जिनका कंपनी के संचालन/प्रदर्शन पर संभावित प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें सभी मूल्य संवेदनशील जानकारी भी शामिल है।
- ग) इसके अलावा, उक्त लेख का कंपनी पर कोई वास्तविक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है, यह देखते हुए कि कंपनी के मुख्य कारोबार में विद्युत, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है।

इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि कंपनी के पास सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियमन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ साझा करने के लिए कोई मूल्य संवेदनशील जानकारी की घोषणा नहीं है।

हम आपसे हमारे स्पष्टीकरण को रिकॉर्ड पर लेने का अनुरोध करते हैं। यदि इस संबंध में किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो कृपया हमें बताएं।

यह आपकी जानकारी के लिए है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव